उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-128/2016/आर-1939/26-3-2016-4(21)/2016
लखनऊः दिनांकः 24 जून 2016

कार्यालय ज्ञाप

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में अनियमितता बरतने वाली शिक्षण संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करने तथा मान्यता निरस्त कराने, दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने इत्यादि के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से निर्गत समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-2312/26-3-2014, दिनांक-03.12.2014 द्वारा विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करते हुये निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

2- निदेशालय, समाज कल्याण की उक्त समिति द्वारा समाज कल्याण निदेशालय के आदेश दिनांक-11.08.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थापित शिक्षण संस्थान **इनोवेटिव कालेज आफ फार्मेसी प्लाट नं0-6 नालेज पार्क-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर** को दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अनियमितता बरतने का प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ पाने से वंचित किये जाने हेतु शिक्षण संस्थान को 'ब्लैकलिस्ट' किया गया। निदेशालय, समाज कल्याण के उक्त आदेश दिनांक-11.08.2015 के विरूद्ध उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित 09 सदस्यीय अपीलीय फोरम के समक्ष अपील दिनांक-10.12.2015/13.04.2016 प्रस्तुत की गयी। अतएव उक्त शिक्षण संस्थान के प्रत्यावेदन/अपील पर विचार किये जाने हेतु शासन के पत्र दिनांक-30.05.2016 द्वारा सम्बन्धित शिक्षण संस्था को नोटिस निर्गत करते हुये अभिलेखों/साक्ष्यों सहित सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक-09.06.2016 को फोरम के समक्ष प्रस्तुत होने के निर्देश दिये गये थे। उक्त तिथि को फोरम की बैठक सम्पन्न हुयी। अपीलीय फोरम की उक्त बैठक में सम्बन्धित विभागो के प्रतिनिधियों के साथ-साथ शिक्षण संस्था की ओर से श्री देवाशीष गौर, निदेशक/प्रशासन, इनोवेटिव कालेज आफ फार्मेसी ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर उपस्थित हुये। अपीलीय फोरम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन में यह पाया गया कि निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा शिक्षण संस्थान को निम्नलिखित मुख्य आरोपों में 'ब्लैकलिस्ट' किया गयाः-

आरोप संख्या-1

जनपद में भौतिक सत्यापन के समय शिक्षण संस्था में अध्ययनरत छात्रों द्वारा अपने छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों के साथ संलग्न किये गये आय प्रमाण पत्र में अपने पिता की आय का स्रोत कृषि/मजदूरी व दुकान आदि दर्शायी गई थी जबकि ज्यादातर छात्रों द्वारा कालिज/संस्था में प्रवेश लेते समय अपने पिता की आय का स्रोत व्यवसाय, सरकारी नौकरी आदि दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा छात्रों के साथ सांठ-गांठ करते हुए छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों के साथ फर्जी आय प्रमाण पत्र को संलग्न कर अनियमितता की गयी। शिक्षण संस्थान के छात्रों का हाईस्कूल रोल नं0 के आधार पर एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर से मिलाने कराने के उपरान्त निम्न अनियमितता पायी गयीः-

(i)-श्री कमलेश कुमार दिवाकर पुत्र श्री भगौती प्रसाद जाति-अनुसूचित जाति, हाईस्कूल रोल नं0 887207 वर्ष 2001 के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2010-11 में इस संस्थान में डिप्लोमा इंजीनियारिंग प्रथम वर्ष में आवेदन किया इसके उपरान्त इसी छात्र द्वारा इसी कोर्स को बिना पूर्ण किये शैक्षणिक वर्ष 2013-14 में बी0 फार्मा तृतीय वर्ष के छात्र के रूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु डाटा अग्रेसित किया गया एवं धनराशि प्राप्त की गयी। संस्थान द्वारा बिना एक कोर्स पूर्ण किए दूसरे कोर्स में अपने ही संस्थान में उसी छात्र को प्रवेश देकर छात्रवृत्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु छात्र के आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया तथा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त की गई।

(ii)-श्री नरेश कुमार पुत्र श्री अजय पाल सिंह जाति-अनुसूचित जाति, हाईस्कूल रोल न0-726125वर्ष 2005 के द्वारा शैक्षिक वर्ष 2010-2011 में इस संस्था में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष में आवेदन किया, इसके उपरांत इसी छात्र द्वारा इस कोर्स को बिना पूर्ण किए शैक्षणिक वर्ष 2013-14 में बी.फार्मा. द्वितीय वर्ष एवं वर्ष 2014-15 में बी.फार्मा. तृतीय वर्ष के छात्र के रूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु डाटा अग्रसारित किया गया एवं धनराशि प्राप्त की गई। संस्थान द्वारा बिना एक कोर्स पूर्ण किए दूसरे कोर्स में अपने ही संस्थान में उसी छात्र को प्रवेश देकर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु छात्र के आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया तथा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त की गई।

(iii)-श्री रक्षक शर्मा पुत्र श्री मुन्नालाल शर्मा जाति-अन्य पिछड़ा वर्ग, हाईस्कूल रोल न0-2777598 वर्ष 2008 के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2013-14 में इस संस्थान में डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रथम वर्ष में आवेदन किया, इसके उपरांत इसी छात्र द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2014-15 पुनः डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रथम वर्ष छात्र के रूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु डाटा अग्रसारित किया गया एवं धनराशि प्राप्त की गई। संस्थान द्वारा एक ही कोर्स में दो बार अपने ही संस्थान में उसी छात्र को प्रवेश देकर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु छात्र के आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया।

<u>आरोपो के सम्बन्ध में शिक्षण संस्था का उत्तर/जबाव</u>

उक्त आरोपों के सम्बन्ध में शिक्षण संस्थान द्वारा अपना उत्तर अपीलीय फोरम के समक्ष निम्नवत् प्रस्तुत किया गयाः-

(i)-शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रों द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए थे तथा पिता की आय निर्धारित मानकों के अनुसार थी। यह भी सूच्य है कि छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न आय-प्रमाण-पत्रों को संबंधित वेबसाइट से जाँच लिया गया था और कोई भी आय-प्रमाण-पत्र फर्जी या गलत नहीं पाया गया जो संस्थान के पूर्व-वर्षीय छात्र थे उनके गत वर्षों की अंकतालिका छात्रवृत्ति प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न की गई थी और इन अंकतालिकाओं की सत्यता की जाँच की गई थी और इस संदर्भ में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

यह तथ्य विदित कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेशों में दी गई व्यवस्था के अनुसार छात्र के माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के आधार पर ही छात्रों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान किए जाने हेतु, वरीयता के निर्धारण का मुख्य आधार रहा है।

अतः यदि प्रवेश पत्र आवेदन पत्र में तथा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में छात्र द्वारा पिता का व्यवसाय अलग-अलग दर्शाया गया है तो इस तथ्य का छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु वरीयता के निर्धारण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अतः समिति द्वारा यह आरोप प्रश्नगत संस्थान के संदर्भ में निराधार है। यह संज्ञान में लाना है कि समाज कल्याण विभाग की दिनांकित 10.03.2015 की निरीक्षण आख्या में समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची का कालिज सूची से मिलान एवं छात्रों के भौतिक सत्यापन से संबंधित रिकार्ड पूर्ण पाया गया।

(ii)-श्री कमलेश कुमार दिवाकर ने इन्नोवेटिव कालिज आफ फार्मेसी में द्विवर्षीय डी.फार्मा. कोर्स के प्रथम वर्ष में सत्र 2010-11 में प्रवेश लिया था। उसने सत्र 2011-12 में उपरोक्त द्विवर्षीय डी.फार्मा. कोर्स सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। नियमानुसार इस छात्र ने सत्र 2012-13 में इसी संस्थान में बी. फार्मा. (चार वर्षीय कोर्स) के द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया। इस छात्र ने फिर बी.फार्मा. के सत्र 2013-14 के तृतीय वर्ष में प्रवेश लिया और बी.फार्मा.तृतीय वर्ष के लिए नियमानुसार छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र व आय-प्रमाण-पत्र समाज कल्याण विभाग में जमा किए परन्तु दिनांक 28.07.2015 को निदेशक समाज कल्याण विभाग की समिति द्वारा थोपे गए आरोपों के विपरीत न तो शैक्षणिक सत्र 2013-14 के बी. फार्मा. के छात्रों की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति आज तक आवंटित हुई है और न ही इस शैक्षिक सत्र के लिए छात्र की फीस प्रश्नगत संस्थान को प्राप्त हुई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(iii)-श्री नरेश कुमार ने भी इन्नोवेटिव कालिज आफ फार्मेसी में द्विवर्षीय डी.फार्मा. कोर्स के प्रथम वर्ष में सत्र 2010-11 में प्रवेश लिया था। उसने सत्र 2011-12 में उपरोक्त द्विवर्षीय डी.फार्मा. कोर्स सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। उसने एक वर्ष के अंतराल के बाद, इनोवेटिव कालिज आफ फार्मेसी में नियमानुसार सत्र 2013-14 में बी.फार्मा.(चार वर्षीय कोर्स) के द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया और नियमानुसार छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र व आय-प्रमाण-पत्र समाज कल्याण विभाग में जमा कराया, परन्तु समाज कल्याण विभाग के दावों के विपरीत सत्र 2013-14 के छात्रों के लिए समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति आज तक आवंटित नहीं की और इस कारण इस संस्थान को भी इस छात्र से शिक्षा शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है।

(iv)-श्री रक्षक शर्मा ने इनोवेटिव कालिज आफ फार्मेसी में डी.फार्मा.कोर्स के प्रथम वर्ष में सत्र 2013-14 में प्रवेश लिया और इसी सत्र के लिए उसका छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र व आय-प्रमाण-पत्र समाज कल्याण विभाग को अग्रसारित किया गया। शैक्षिक सत्र 2013-14 के लिए समाज कल्याण विभाग ने आज तक छात्रवृत्ति व शुल्क-प्रतिपूर्ति आवंटित नहीं की अतः न ही यह छात्रवृत्ति छात्र को मिली और न ही संस्थान को। अब क्योंकि यह छात्र सत्र 2013-14 में डी.फार्मा. प्रथम वर्ष का छात्र था, सत्र 2014-15 में इस ने डी.फार्मा. द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया जिसका प्रमाण उसके द्वारा सत्र 2014-15 में डी.फार्मा. द्वितीय वर्ष सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के प्रमाण स्वरूप अंक तालिका **संलग्नक-4** के रूप में प्रेषित है। अतः समिति का यह कथन कि इस छात्र को सत्र 2014-15 में दोबारा डी.फार्मा. प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया गया, सर्वथा झूठा आरोप है।

उपरोक्त तीन छात्रों के संदर्भ में तथ्यों के उजागर होने के पश्चात् उपयुक्त प्रमाण प्राप्त होते हैं जिससे यह पूर्णतया प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति से संबंधित धनराशि का कोई गबन नहीं किया गया और न ही शासकीय धनराशि प्राप्त करने हेतु किसी छात्र ने इस संस्थान में एक कोर्स अधूरा छोड़ कर उसी संस्थान में दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर आवेदन पत्र भरा है। इस संदर्भ में समिति ने अपनी रिपोर्ट **(संलग्नक-1)** में माना है कि संस्था के प्रतिनिधि ने यू.पी.टी.यू. द्वारा जारी छात्रों की विभिन्न वर्षों की संबंधित पाठ्यक्रम की अंकतालिकाओं की छायाप्रति उपलब्ध कराई जिस से प्रमाणित होता है कि संस्थान के किसी छात्र द्वारा एक कोर्स को अधूरा छोड़ कर उसी संस्थान में दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया गया है।

उपरोक्त बिन्दु सं0 3 में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रश्नगत शिक्षण संस्थान द्वारा शासनादेशों एवं नियमों का स्वेच्छापूर्ण ढंग से उल्लंघन करते हुए किसी छात्र द्वारा एक कोर्स को अधूरा छोडकर संस्थान में दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को अग्रसारित करके धनराशि प्राप्त करने के कोई प्रमाण मौजूद नहीं हैं। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर इनोवेटिव कालिज आफ फार्मेसी ग्रेटर नोएडा का नाम **"संस्थानों की काली सूची"** से हटाना अत्यंत आवश्यक है जिससें संस्थान की गरिमा व छवि को जल्द से जल्द सुरक्षित किया जा सके और जो छवि गत वर्ष के कार्यकाल में धूमिल हुई है उसकी क्षति को पुनः सुधारा जा सके।

3- प्रकरण की सुनवाई के समय अपीलीय फोरम द्वारा संदिग्ध छात्रों के डाटा अग्रसारित किये जाने एवं जिस पाठ्यक्रम की मान्यता नही थी, उसके छात्रवृत्ति सम्बन्धी डाटा को अग्रसारित किये जाने के सम्बन्ध में शिक्षण संस्था के प्रतिनिधि से पूछे जाने पर शिक्षण संस्था द्वारा इस विषय में अपना अतिरिक्त कथन दिनांक-13.06.2016 लिखित रूप में उपलब्ध कराया गया है। शिक्षण संस्था ने अपीलीय फोरम की सुनवाई में मुख्य रूप से उठे 02 विचारणीय बिन्दु जिसमें एक छात्र श्री रक्षक शर्मा को शैक्षिक सत्र वर्ष 2013-14 व 2014-15 में डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रथम वर्ष ही दर्शाये जाने के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त छात्र सत्र 2014-15 में डिप्लोमा इन फार्मेसी द्वितीय वर्ष की पढ़ाई पूरी की गयी। साक्ष्य रूप में उक्त छात्र की प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की अंकतालिका संलग्न की गयी। फोरम के समक्ष सुनवाई में उठे दूसरे महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु जिसमें शिक्षण संस्था पर यह आरोप था कि उसके द्वारा डिप्लोमा इन फार्मेसी के पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों का छात्रवृत्ति सम्बन्धी डाटा डिप्लोमा इन इन्जीनियरिंग के रूप में दर्शाते हुये वर्ष 2010-11 में अग्रसारित किया गया, के सम्बन्ध में शिक्षण संस्था का यह कथन है कि वर्ष 2010-11 के छात्रवृत्ति सम्बन्धी पोर्टल पर डिप्लोमा इन फार्मेसी (02 वर्षीय), बी0ए0 एल0एल0बी0 (05 वर्षीय) एवं बी0एस0सी0 बायोटेक (03 वर्षीय)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पाठ्यक्रम दर्शित न होने के कारण संस्था के पत्र दिनांक-18.10.2010 द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को सूचित करते हुये साफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था कराये जाने की मांग की गयी थी। छात्रवृत्ति साफ्टवेयर में उक्त पाठ्यक्रमों का नाम दर्शित न होने पर उक्त शिक्षण संस्था में डिप्लोमा-इन-फार्मेसी (02 वर्षीय) पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति सम्बन्धी डाटा डिप्लोमा-इन-इन्जीनियरिंग के रूप में दर्शाते हुये डाटा अग्रसारित किया गया तथा शिक्षण संस्था के पत्र दिनांक-23.11.2010 के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को सूचना भी दी गयी थी। शिक्षण संस्था का यह भी कथन है कि दोनो पाठ्यक्रमों (डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन इन्जीनियरिंग) की फीस समान होने के कारण छात्रहित में डाटा अग्रसारित किया गया था इसमें शिक्षण संस्था के स्तर से कोई अनियमितता नही की गयी थी।

4- अतएव निदेशालय, समाज कल्याण की समिति के उक्त आदेश दिनांक-11.08.2015, शिक्षण संस्था द्वारा दिये गये उत्तर दिनांक-13.04.2016 एवं अतिरिक्त कथन दिनांक-13.06.2016 एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों के अनुशीलन से यह स्थिति प्रकाश में आयी कि जनपद में भौतिक सत्यापन के समय शिक्षण संस्था में अध्ययनरत छात्रों के प्रवेश सम्बन्धी आवेदन पत्र एवं छात्रवृत्ति सम्बन्धी आवेदन पत्र में उनके माता-पिता/अभिभावकों की आय के स्रोत में भिन्नता अंकित होनी पायी गयी। शिक्षण संस्था में प्रवेश लेते समय आवेदन पत्रों में छात्रों द्वारा अपने माता-पिता/अभिभावकों की दर्शायी गयी आय का स्रोत एवं छात्रवृत्ति सम्बन्धी आवेदन पत्र में आय के स्रोत में जानबूझकर भिन्नता करते हुये छात्रवृत्ति सम्बन्धी डाटा अग्रसारित किया गया। डाटा अग्रसारित करते समय शिक्षण संस्था द्वारा अपने यहां संचालित पाठ्यक्रम डिप्लोमा-इन-फार्मेसी के वर्ष 2010-11 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का छात्रवृत्ति सम्बन्धी डाटा बिना सक्षम स्तर की अनुमति के डिप्लोमा-इन-इन्जीनियरिंग के रूप में दर्शित करते हुये अग्रसारित किया जाना शिक्षण संस्था की कदाशयता को प्रदर्शित करता है।

5- अतएव सम्यक्विवेचनोपरान्त अपीलीय फोरम सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश दिनांक-11.08.2015 द्वारा याची शिक्षण संस्थान (इनोवेटिव कालेज आफ फार्मेसी प्लाट नं0-6 नालेज पार्क-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर) को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अनियमितता बरतने के आरोप में किया गया ब्लैक लिस्ट सम्बन्धी निर्णय उचित एवं नियमानुसार है। इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं है। तद्नुसार याची शिक्षण संस्थान की अपील/प्रत्यावेदन दिनांक-10.12.2015/13.04.2016 को उपरोक्तानुसार एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

आर.डी. कल्याण संयुक्त सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन	अखिलेश अग्निहोत्री संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन	मो0 शफकत कमाल विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 शासन
शिवाकान्त द्विवेदी विशेष सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन	विजय बहादुर सिंह निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ	सुनील कुमार प्रमुख सचिव/अध्यक्ष अपीलीय फोरम, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-128/2016/आर-1939(1)/26-3-2016 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा एवं कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निदेशक, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/उच्च शिक्षा/प्राविधिकशिक्षा /व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा एवं कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- कुल सचिव,ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम आजाद तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ (पूर्व नाम यू0पी0टी0यू0)

4- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य योजना इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

5- चेयरमैन, इन्नोवेटिव कालेज आफ फार्मेसी, प्लाट नं0-6 नालिज पार्क-2 ग्रेटर नोएडा उ0प्र0।

6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

7- गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।